राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 1(4)राज–6/2001/पार्ट/02 जयपुर, दिनांक 28.04.16

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

–:परिपत्र:–

विषय:– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु निःशुल्क राजकीय भूमि आवंटन के संबंध में।

मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 70/2016 दिनांक 14.04.2016 के क्रम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राजकीय भूमि दिनांक 21.01.1976 से निःशुल्क आवंटित करने एवं आदिनांक बकाया राशि माफ की स्वीकृति दिये जाने तथा भविष्य में राजकीय भूमि निर्धारित शर्तों पर निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त निर्णय की क्रियान्विति के अनुसरण में विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(4)राज–6/2001/5 दिनांक 23.06.2004 को आंशिक रूप से अधिष्ठित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजकीय भूमि निम्नांकित शर्तों पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण (Widening) हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण (Allignment) में आ रही राजकीय भूमि का निःशुल्क आवंटन इस शर्त के साथ किया जावेगा कि राज्य की विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं के लिए जब भी आवश्यकता होगी, उपयोगिता गलियारे (utility corridor) का अधिकार राज्य सरकार का पूर्ण सडक मार्ग पर निःशुल्क रहेगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवंटित की जाने वाली भूमि के संबंध में समस्त दायित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के होंगे।

3. यदि कोई सार्वजनिक सम्पत्ति या राज्य सम्पत्ति सडक सीमा में स्थित है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा नियमानुसार मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा।

4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवंटित की जाने वाली भूमि पर किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि का संचालन नही किया जायेगा। यदि कोई वाणिज्यिक गतिविधि आरम्भ की जावेगी तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूमि का मूल्य डी0एल0सी0 दर पर अदा करने हेतु दायित्वाधीन रहेगा।

परिपत्र दिनांक 23.06.2004 भारतीय रेलवे को रेलवे लाईन डालने, स्टेशनों के निर्माण तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि के संबंध में यथावत लागू रहेगा।

भवदीय,

(डॉ0 कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव